न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 80/18 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2018/00280

उनवान

1. आसीन } पिस0 हसमल
2. असरफ }
3. समीर पुत्र इस्माईल
4. फजरू
5. रोशन
6. असरू
7. सरीफ पुत्र धम्माली

} जाति मेव निवासी घोसिंगा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर।

..... रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी पहाडी दिनांक 23.05.2018 उनवानी सरकार बनाम आसीन मु0न0 02/2016

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री पंकज कुमार उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 22.09.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी के आदेश दिनांक 23.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 167 रकवा 0.24 है0 वाके ग्राम घोसिंगा तहसील

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

पहाडी में स्थित है जिसकी किस्म बारानी है। प्रतिवादी अपीलाण्ट विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार हैं। प्रतिवादीगण अपीलाण्ट विवादित आराजी पर कृषि करने के लिये अधिकृत हैं परन्तु अकृषि कार्य के लिये प्रतिवादीगण अपीलाण्ट को भूमिधारी/सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति/भूमि रूपान्तरण किया जाना जरूरी है। पटवारी हल्का घोसिंगा ने मुझ भूमिधारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि प्रतिवादीगण अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी पर पत्थर पीसने की चक्की लगाकर भूमि को कृषि प्रवृत्ति को बदल दिया है। इससे पूर्व उन्होनें सक्षम अधिकारी से भूमि की किस्म का रूपान्तरण नहीं कराया है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी को सिवायचक (सरकारी भूमि) घोषित किये जाने का निवदेन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये विवादित आराजी को सिवायचक घोषित कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार बार आवाज दिलवाये जाने पर भी राजकीय अभिभाषक उपस्थित नहीं आये। अतः बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अपीलाण्ट पर अधीनस्थ न्यायालय में कोई सम्मन की तामील नहीं हुयी। अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट में पत्रावली ले जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी आराजी पर कोई पत्थर पीसने की मशीन नहीं लगा रखी है। पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट से सादे कागज पर हस्ताक्षर कराकर मौके के विपरीत कार्यालय में बैठकर गलत रिपोर्ट तैयार की है। अपीलाण्ट विवादित आराजी पर खेती करते हैं। पटवारी हल्का पार्टी बन्दी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गयी है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में तलवी में चल रहा था। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व से नियत तारीख पेशी से पूर्व ही प्रकरण को मनमाने तरीके से कैम्प कोर्ट में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जबकि दावे में साक्ष्य होनी चाहिये थी। केवल पटवारी हल्का एंव गिरदावर की रिपोर्ट को सत्य मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में पेशी दिनांक 13.04.2018 को अग्रिम पेशी दिनांक 25.05.2018 वास्ते तलवी प्रतिवादीगण नियत की गयी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.05.2018 को पूर्व निर्धारित पेशी दिनांक से पूर्व ही बिना प्रतिवादीगण को तलव किये, प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अन्तिम तौर पर निस्तारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध

नोटिसो का भी अवलोकन किया। उक्त नोटिसो पर किसी भी प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाकर, सभी के अंगूठा निशानी हो रहे हैं। जबकि अपील प्रस्तुत करते समय प्रतिवादीगण अपीलाण्ट फजरू व सरीफ द्वारा वकालतनामा पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में किसी एक ही व्यक्ति द्वारा अंगूठा लगाया गया हो, दोनों तथ्य विरोधाभाषी हैं। इस प्रकार नियम व न्यायिक दृष्टान्तो के आलोक में इसे समुचित तामील नही माना जा सकता है। चूंकि अपीलाण्ट पर समुचित तामील होना नही पाया गया है। जिससे स्पष्ट है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का मौका नहीं मिला। हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में, लोक अदालत में प्रस्तुत पक्षकारों के मध्य सहमति/राजीनामा भी उपलब्ध नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो कि पक्षकारों की सहमति से प्रकरण राजस्व लोक अदालत में वास्ते निर्णय हेतु रखा गया। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत की हडबडी में बिना न्यायिक प्रक्रिया पालन किये जल्दबाजी में पारित किया है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पहाडी के निर्णय दिनांक 23.05.2018 निरस्त किये जाते हैं एवं पत्रावली उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को दस्तावेजी साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः गुणावगुण के आधार पर विधि अनुरूप निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.10.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 22.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

22/09/2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर